

न्यायालय-जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम नियमित जमानत आवेदन सं-469/2026

दिलीप पासवान उर्फ दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य

09.06.2026 आवेदक दिलीप पासवान उर्फ दिलीप कुमार पे0 योगेन्द्र पासवान, जो थरथरी थाना काण्ड सं-83/2026 (अन्तर्गत धारा-308(2),115(2),118(1),351(3), बी0एन0एस0) में अभियुक्त है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज प्रसाद द्वारा प्रचालित किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया था लेकिन अनुसंधान के क्रम में धारा-35(3) बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदक को लाभ दिया गया है इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन वापस लेने की अनुमति दिया जाय।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूकि आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को बिना गुण-दोष पर सुनवाई किये वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)



(आलोक कुमार पाण्डेय-1)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- I, हिलसा